

31
(111)

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या 26(5)/VIII /228-श्रमटीसी-1/2001
देहरादून दिनांक 18 मई, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-11 सन, 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त अधिसूचना संख्या 4472/36-3-613(एम0डब्लू0)-91 तारीख 4 फरवरी, 1992 को अधिकांत करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तरांचल में छोटा मिनीयेचर बल्ब एवं कांच उत्पादों के निर्माण उद्योग (चश्मों के शीशे और कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग को छोड़कर) के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारित करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी :-

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3
		रूपये प्रतिमाह
1-	अकुशल (क) छोटे बल्ब की इकाइयों के लिए (ख) कांच उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए	2350.00 2425.00
2-	अर्द्धकुशल (क) छोटे बल्ब की इकाइयों के लिए (ख) कांच उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए	2510.00 2730.00
3-	कुशल (क) छोटे बल्ब की इकाइयों के लिए (ख) कांच उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए	2670.00 3105.00
4-	कनिष्ठ लिपिक, वे जो 5 वर्ष से कम अवधि तक नियोजन में रहे हों। (क) छोटे बल्ब की इकाइयों के लिए (ख) कांच उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए	2730.00 3275.00
5-	ज्येष्ठ लिपिक, जो स्नातक हो और जिन्होंने किसी औद्योगिक ईकाई में 5 वर्ष से अधिक अवधि तक नियोजन में रहे हों। (क) छोटे बल्ब की इकाइयों के लिए (ख) कांच उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए	3105.00 3750.00

टिप्पणी :- कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

2. परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता :-

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=100) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रुपया प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुये परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के $1/26$ से कम न होगी।

4. प्रति घण्टा मजदूरी की दर दैनिक दर के $1/6$ से कम न होगी !

5. किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।

6. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम हैं, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

7. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होंगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक हैं, तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानों उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी को न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

8. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूर्व से कर रहा है, तो इस अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिये वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की राशि, दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्तव में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण :-

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रुपया है और मंहगाई भत्ता 100.00 रुपया है और इस प्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रुपया होती है और उस दिन किसी नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रुपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़े हुये परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और मंहगाई भत्ता मिलाकर 2550.00 रुपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रुपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. जहां किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

10. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समान इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

परिशिष्ट

अकुशल:-

हेल्पर, अस्तरवाला, बबलवाला, घुण्डीवाला, कांचवाला, बघार वाला, बैच मिक्सर, कोयला डालने वाला, ठंडी बत्ती वाला, पन्तीवाला, पिसाई वाला, पैकिंग प्रक्रिया से माल निकालने वाला, पैकर, बबलचू, बबलर, ठंडा बाबरी वाला, गेज मैन, भराई करने वाला, कैरियर, रबर, फास्ट मोहर लगाने वाला, सांचे वाला, खुसीवाला, गलाई वाला, पानी वाला, जाली वाला, कांच ढोने वाला, लोहार वाला, स्टैम्प सीलवासर, कुकर, सीलिंग हेल्पर, कैप लगानेवाला, बेकर, बफर, बैसर, चुनैया, बालकूलर, बालमेकर, स्टोरमैन, मजदूर, गेटमैन, कुली और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

अर्द्धकुशल:-

गुल्ली वाला, लोममैन, पहलवाला, गरम लोम वाला, घिसाई वाला, फस्टर ग्राइन्डर, मोल्डर, वाटलजार, स्टापर, फिलरमैन, ग्लास कटर, रुसा भट्टी वाला, रुसा ग्लास सहायक, खरादी, ग्लोब कटर, महिला फोरमैन, बीडर चैकर, टयूब कटर, मिडिलमैन, बीडिंग राड खींचने वाला, गिनथा, सोल्डर, पालीसर, मिक्सर मैन, लोम देने वाला, लोम बनाने वाला, बेल्टमैन, कम्प्रेसर मैन, क्लीनर, पल्लेदार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

कुशल:-

सीलर, एग्जास्टर, एडजस्टर, माउन्टर, रिंग फिटर, स्टेम मेकर, सिकैया, फायरमैन, क्रपलिंग ओवर इंचार्ज, जेनरेटर इंचार्ज, इलेक्ट्रिक इंचार्ज, प्रोडक्सन इंचार्ज, फिनिशिंग इंचार्ज, मिक्सिंग इंचार्ज, इंचार्ज मिस्ट्री, बत्तीवाला, मुट्ठवाला, बेलनवाला, बत्ती लगाने वाला, जगाईवाला, झोकाई वाला, तारकस, मल्ला हैन्डलर, इनग्रेवर, ब्लोवर, फोरमैन, लोहार, मिस्ट्री, बड़ई, खरादी, फिटर, फर्नेस मैन, हैण्ड वर्करड्रिल मैन, मोटर बाइन्डर, प्रेसमैन, ड्राईवर, इंजन ड्राईवर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 201(5) / श्रम सेवा/228-श्रम/2005 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी।
5. उप-निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सोहन लाल)
अपर सचिव।